



विहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
आदेश

सर्वदके कमलपुरा कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा० लि०, किशोर नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर के निबंधन सं०-प्रथम(कंपनी)/१९(भवन)/२०१४ द्वारा सीतामढ़ी जिलान्तर्गत 6000 बोमता के भी०भी० पैट गोदाम (वियर हाउस) के निर्माण कार्य के निविदा में अम्य लिया गया।

दिनांक-10.05.2019 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में विषयांकित कार्य के तकनीकी बीड़ के निष्पादन के क्रम में पाया गया कि सर्वदक द्वारा Construction of Remand Home 50 Bedded Observation Home, Residence for Principal, Staff Guard Room at Sitamarhi का कायदिश निर्गत होने एवं Construction of Sub Division Hospital at Belsand Sitamarhi के कार्य का एकरानामा होने के बावजूद निविदा में Existing Commitment and on going Work के रूप में नहीं दिखाया गया हैं। फलस्वरूप समिति द्वारा SBD की कंडिका 4.8 के तहत सर्वदक को असफल किया गया तथा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत सर्वदक के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में दिनांक-26.06.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में सर्वदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-6847 दिनांक-26.07.2019 द्वारा सर्वदक कमलपुरा कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा० लि०, किशोर नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा पत्रांक-8230 दिनांक-11.09.2019 द्वारा सर्वदक को स्पष्टीकरण हेतु स्मारित किया गया।

उक्त के आलोक में सर्वदक से उनके पत्रांक-165 दिनांक-02.08.2019 द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

दिनांक-15.10.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में समिति द्वारा सर्वदक से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि सर्वदक द्वारा विषयांकित कार्य को आवंटित होने एवं कायदिश निर्गत होने के बावजूद Existing Commitment and on going Work में नहीं दिखाया गया है अर्थात् वास्तविक तथ्य को छुपाया गया है। फलस्वरूप समिति द्वारा सर्वदक कमलपुरा कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा० लि०, किशोर नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर के निबंधन सं०-प्रथम(कंपनी)/१९(भवन)/२०१४ को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के प्रावधानों के तहत एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार विभागीय पत्रांक-9600 दिनांक-30.10.2019 के द्वारा कमलपुरा कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा० लि०, किशोर नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर के निबंधन सं०-प्रथम(कंपनी)/१९ (भवन)/२०१४ को पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया गया।

उक्त निलंबन आदेश के विरुद्ध सर्वदक कमलपुरा कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा० लि०, किशोर नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने पत्रांक-196 दिनांक-20.12.2019 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-25054/2019 कमलपुरा कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा० लि० बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-13.12.2019 समर्पित किया गया, जिसका मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

" Considering the afore-stated aspects, it appears that such issues have not been adverted to while passing the order impugned.

The order therefore cannot be sustained in the eyes of law and the same is set aside.

However, it would be open for the Engineer in Chief-cum-Additional Commissioner-cum-Special Secretary, Building Construction Department, Government of Bihar, Patna (Respondent No.3) to afford an opportunity to the petitioner to represent his case within a period of three weeks from the date of production of a copy of this order, whereafter a fresh order shall be passed in accordance with law and in terms of what has been stated in this order.

With the aforesaid observation/ direction, this petition stands disposed off."

संवेदक कमलपुरा कन्सट्रक्शन कंपनी प्रा० लि०, किशोर नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर द्वारा उक्त निलंबन आदेश के विरुद्ध प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के यहाँ अपने पत्रांक-196 दिनांक-20.12.2019 के माध्यम से अपील आवेदन पत्र भी दायर किया गया, जिसकी सुनवाई प्रधान सचिव द्वारा दिनांक-03.01.2020 को दोनों पक्षों के समक्ष की गयी। प्रधान सचिव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-13.12.2019 को दिये गये आदेश के आलोक में इस मामले में अत्रेतर कार्रवाई अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश विभागीय पत्रांक-291 दिनांक-13.01.2020 द्वारा परिचारित किया जा चुका है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-25054/2019 कमलपुरा कन्सट्रक्शन कंपनी प्रा० लि० बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-दिनांक-13.12.2019 एवं प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपील अभ्यावेदन पर दिये गये आदेश के आलोक में तत्काल विभागीय पत्रांक-9600 दिनांक-30.10.2019 द्वारा संवेदक कमलपुरा कन्सट्रक्शन कंपनी प्रा० लि०, किशोर नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर के निबंधन सं०-प्रथम(कंपनी)/19(भवन)/2014 को एक वर्ष के लिए निलंबित किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त किया जाता है।

विश्वासभाजन

३१/०१/२०२०

— (कश्यप कुमार गुप्ता)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव